

21/10/2021
18/10/21

(नियम 26)

2021/15

2021/15

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतकर्ता) श्री गंगानगर

शिवकुमार बनाम राजभज वगैरा

अपील प्रकरण सं० 40/2021

अधिवक्ता अपीलार्थी :- श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता रеспोडेन्टस :-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
23.09.2021	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 को पेश हो।	
11.10.21	<p>हकीम</p> <p>अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रजिस्ट्रार सं० 7 वगैरा से अधिवक्ता श्री निरेश कुमार द्वारा वकालतनाम पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.21 को पेश हो।</p>	
12.10.21	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रस्पोडेन्ट संख्या 07 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया जो शामिल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी की प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलाई गई। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को पेश हो।	
18.10.2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पीटासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण आदेश लिखाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.10.2021 को पेश हो।	
21.10.2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मैसर्स गणेश ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, श्रीगंगानगर के चक 3 ई छोटी गुरबा नम्बर 38 के किला नम्बर 6 ता 8, 9, 11 ता 15 एवं चक 6 ई छोटी के गुरबा नम्बर-1 किला नम्बर -10, 11, 12 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिसवा दर्ज थी जिसकी पार्टनरशिप डेड बनी हुई थी, जिसमें प्रार्थी के पिता लक्ष्मण दास पुत्र गणेशीलाल का 7 प्रतिशत शेयर हिस्सा दर्ज था। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस लक्ष्मण दास के लड़के शिवकुमार, अनिल कुमार, रामधन वारिस हैं। उपरोक्त फर्म 1977 से रजिस्टर्ड फर्म है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उसके जायज वारिस प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बहन हैं जिसमें 9 बीघा 9 बिसवा रकबा में से 7 प्रतिशत हिस्सा यानि करीबन 13.23 बिसवा रकबा का प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हकदार हैं। राजस्व रिकॉर्ड में रकबा मैसर्स गणेश ऑयल एण्ड जनरल मिल्स श्रीगंगानगर के नाम चल रहा था। प्रार्थी के पिता द्वारा फर्म को किसी को भी बेचान नहीं किया गया ना ही प्रार्थी द्वारा बेचान किया गया है।	

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी इसके हकदार है। अप्राधीयान को प्रार्थी का 7 प्रतिशत हिस्सा बेचने का अधिकार नहीं है जबकि अपीलार्थी के पिता लक्ष्मणदास के उत्तराधिकारी द्वारा कोई दरतावेज अप्राधीयान के हक में लिखकर नहीं दिया गया। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अपीलार्थी इनतकाल संख्या 221 दिनांक 16.03.2021 अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत किया है। अगर अप्राधीयान द्वारा जमीन का बेचान कर दिया और जमीन पर कब्जा ले लिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः ताफंसला मौका एवं रिकॉर्ड की गथास्थित कायम रखे जाने का आदेश पारित किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट के द्वारा जरिये पंजीकृत दरतावेज बैयनामा से भूमि खरीद की जाकर मौका पर कब्जा प्राप्त किया है एवं नेकनीयत साधिकार खरीददार खातेदार के खिलाफ रथगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलांत का न तो विशिष्ट हक है एवं ना ही कब्जा है तो अपूर्णीय क्षति होने का पश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। खरीद की गई भूमि के संदर्भ में खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत होने पर उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश एवं डिक्री से खाता का विभाजन किया जाकर पृथक जमाबन्दी रेस्पोंडेन्ट के नाम से मुर्तिब की जा चुकी है इसलिये हस्तगत अपील नाकादिल चलने के एवं रथगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांत वांछित अनुतोष प्राप्त करने का कर्तई अधिकारी नहीं है।

रथगपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा फार्म नम्बर फार्म नम्बर 03 के साथ प्रस्तुत दरतावेजात में प्रस्तुत शपथ पत्र अनिल सिंगला पुत्र लक्ष्मण दास जो कि अपीलांत का भाई है ने अंकित किया है कि मेरे द्वारा और मेरे भाईयों द्वारा अपने-अपने हिस्से का प्रतिफल पूर्व में ही प्राप्त किया हुआ है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत इनतकाल संख्या 221 दिनांक 16.03.2021 पंजीकृत बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी बैयनामा जो पंजीकृत किया गया है से सन्तुष्ट नहीं है तो सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। पंजीकृत बैयनामा पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रथगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली चारसे तल्पी एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.11.2021 को पेश हो।

17/11/21 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीटासीन अधिकारी को पेश हो। है। पत्रावली दिनांक 17/11/21 को पेश हो।

17/11/21 पीटासीन अधिकारी अकला प्रमण कर को पेश हो। कार्य न चल सके है। पक्ष कागन के अधिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 18/11/21 को पेश हो।

18/11/21 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीटासीन अधिकारी को पेश हो। है। पत्रावली दिनांक 21/11/21 को पेश हो।

21/11/21 पीटासीन अधिकारी अकला प्रमण कर को पेश हो। कार्य न चल सके है। पक्ष कागन के अधिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 21/11/21 को पेश हो।

22/4/22

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभा... उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी... का पेशा है। 31/3/22

21/4/22

पीठासीन अधिकारी अदालत भवन पर... का पेशा है। पत्रावली दिनांक... का पेशा है। 25/4/22

25/4/22

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभा... उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी... का पेशा है। पत्रावली दिनांक... का पेशा है। 14/6/22

14/6/22

अधिवक्ता... अपीलान्ट... तलमणी हेतु तलमणी... काहेत तलमणी... 5/7/22

27/6/22

अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 07 उपस्थित। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेजातस एवं तथ्यों की अनभिज्ञता एवं अज्ञानता में उक्त अपील प्रस्तुत की थी जो कि वर्तमान में अपीलांट के समक्ष समस्त वस्तु स्थिति स्पष्ट होने पर पंचायत की रूह से रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 एवं अन्य रेस्पोंडेन्टान के साथ समझौता हो गया है किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद शेष नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद आयन्दा प्रार्थी/ अपीलांट किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में उत्पन्न करेगा। अतः उपरोक्त अनवानी अपील को पंचायत एवं लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के तहत पर आज ही पेशी में लिया जाकर दाखिल दफतर फरमाया जावें। फलस्वरूप अपीलांट का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Shikhar @mur Mubesh Shah Shikhar byr Ar 27/6/22